



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 अवैध तमंचा, कारतूस सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.10.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में सघन चेकिंग किये जाने एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर, मिश्रित, नैमिषारण्य व मछरेहटा की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 04 अभियुक्तों को 04 अवैध शस्त्र व 05 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

- 1. थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा 1 अवैध तमंचे व कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:-** थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कुलदीप कुमार राठौर पुत्र रामस्वरूप राठौर निवासी ग्राम कबीरपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा, 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 416/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
- 2. थाना नैमिषारण्य द्वारा 01 अवैध तमंचे व कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:-** थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान केशव पुत्र शिवनरायन निवासी ग्राम करखिला थाना नैमिषारण्य सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 309/2021 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
- 3. थाना मछरेहटा द्वारा 01 अवैध तमंचे व कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:-** थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 263/21 धारा 380/411 भादवि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त महेन्द्र पासी पुत्र रामधार पासी निवासी ग्राम तिवारीपुर मजरा फत्तेपुर थाना मछरेहटा सीतापुर को चोरी हुए मूर्ति व मुकुट को बेचे जाने से सम्बन्धित 650 रुपये बरामद किये तथा कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 300/2021 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
- 4. थाना पिसावांवा द्वारा 01 अवैध तमंचे व कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:-** थाना पिसावांवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रेम पुत्र पुत्तु निवासी नेताखेड़ा थाना पिसावांवा सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा व

01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 344/2021 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।





थाना - पिशावाँ

जनपद - सीतापुर

